

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-173/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
07.03.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बन्दगांव का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, बन्दगांव को स्मारित करें। अगली तिथि <u>25.4.18</u> को निर्धारित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख <u>25.4.18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Beek</i> 2.3.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
25.04.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बन्दगांव के पत्रांक 67, दिनांक 21.04.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 21.04.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, बन्दगांव ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री राधानाथ महतो, पिता-पूर्ण चन्द्र महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.) ग्राम-कितापीड़, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-कितापीड़, खाता नं०-22, प्लॉट नं०-02, रकवा 0.37 ए०, क्रेता भवानी महतो, पिता-मनसा महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-ओटार, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री राधानाथ महतो, पिता-पूर्ण चन्द्र महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.) ग्राम-कितापीड़, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता थाना-कराईकेला के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग.) समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा-2.52 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, बन्दगांव द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता भवानी महतो, पिता-मनसा महतो, जाति- कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-ओटार, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <p style="text-align: right;"><i>Beek</i> 25.4.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	